राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)
एकलव्य भवन
डॉ0 एस0 राधाकृष्णन्, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302015
फोन:–0141–5150944, फैक्स:– 01412705067
website:http//www.education.rajasthan.gov.in/rsos e-mail:rajasthansos@gmail.com

क्रमांक:प.9(11)/एस.एस.एस./2021–22/8559 – 8606 दिनांक :–24/01/2022

जिला शिक्षा अधिकारी **(मा.शि.)**/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/
प्रधानाचार्य/सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी
रा.उ.मा.वि./रा.बा.उ.मा.वि.,
....

विषय :– सत्र 2021–22 में आयोजित व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम (P.C.P.) शिविर बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 2021–22 के पंजीकृत परीक्षार्थियों के लिए 15 दिवसीय व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम शिविर (P.C.P.) दिनांक 14 फरवरी, 2022 से 28 फरवरी, 2022 तक आयोजित किये जाने हैं जिसमें सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक विषयों के लिए सन्दर्भ केन्द्र R.S.O.S. नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश विवरणिका सत्र् 2021–22 के पृष्ठ संख्या 16, 17 (इकाई–4) पर उपलब्ध है तथा विवरणिका आरएसओएस की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। उपरोक्त व्यक्तिगत सम्पर्क शिविर की सूचना एवं निर्देश आप अपने स्तर पर विद्यार्थियों को अनिवार्यतः तुरन्त देवें।

1. निष्पादक मण्डल RSOS की 10वीं बैठक में दिनांक 28.05.2014 को लिये गये निर्णयानुसार इस क्रम में पी.सी.पी. संचालन की **पूर्व सूचना आवश्यक रूप से R.S.O.S. व सम्बन्धित D.E.O. (माध्यमिक)/C.B.E.O. को दी जानी है।** इस क्रम में सन्दर्भ केन्द्र प्रधानाचार्य पी.सी.पी. शिविर प्रारम्भ की पूर्वसूचना आवश्यक रूप से ई–मेल/फैक्स/रजि0 डाक द्वारा आर.एस.ओ.एस. कार्यालय तथा D.E.O. (माध्यमिक)/C.B.E.O. को शिविर प्रारम्भ से पूर्व भिजवायें अन्यथा पी.सी.पी. शिविर मान्य नहीं माना जायेगा।
2. **जिले में संचालित पी.सी.पी. के बिलों पर D.E.O. (माध्यमिक)/C.B.E.O. से प्रति हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य है।** बिना प्रति हस्ताक्षर के बिलों का भुगतान देय नहीं होगा तथा बिलों पर P.C.P. में सम्मिलित होने वाले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों की कक्षावार एवं विषयवार छात्र संख्या अवश्य लिखें।
3. व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम (P.C.P.) शिविर प्रातः 10:30 से अपरान्ह 04:30 बजे के मध्य आयोजित किया जायेगा।
4. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में कम से कम 10 अभ्यर्थी प्रति विषय उपस्थित होने पर ही उस विषय के लिए 15 दिवसीय व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम (P.C.P.) शिविर संचालित किया जाए। सन्दर्भ केन्द्र में विषयाध्यापक की अनुपलब्धता के संबंध में संबंधित D.E.O. (माध्यमिक)/C.B.E.O. से सम्पर्क कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। यदि छात्र संख्या प्रति विषय 5–10 के बीच है तो उस विषय में केवल पांच दिन ही P.C.P. शिविर लगेगा। पांच से कम छात्र संख्या होने पर ही उन्हें अपने निकटतम P.C.P. संदर्भ केन्द्र पर समायोजित किया जाये और इस कार्यालय को सूचित करें।

5. पी.सी.पी. शिविर सम्पादित कर सूचना विवरणिका के प्रपत्र संख्या 4 (क व ख), 5,6 ही कार्यालय को भिजवायें। प्रपत्र 7 व 8 संदर्भ केन्द्र पर ही रखें। बिल के साथ अनावश्यक प्रपत्र न भिजवायें।
6. व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम हेतु समस्त निर्देश एवं मानदेय मानदण्ड विवरणिका में पृष्ठ संख्या 16, 17 एवं 46 पर अंकित है। शिविर के समापन तिथि से **एक माह के अन्दर** अनिवार्यतः (31 मार्च, 2022 तक) बिल पृष्ठ सं. 68 एवं 69 पर अंकित निर्देश के अनुरूप प्रपत्र 4 (क व ख), 5, 6 के साथ R.S.O.S. कार्यालय को भिजवायें एवं प्रपत्र के समस्त कॉलम की पूर्ति आवश्यक रूप से करें।
7. प्रवेश के समय ऑनलाईन प्रक्रिया करने से पूर्व P.C.P. शिविर (अध्ययन संबंधी समस्याओं एवं सत्रांकों से) संबंधी दिशा–निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात् शिक्षार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करें।
8. विषयाध्यापकों के मो.नं. एवं बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति सत्यापित कर भिजवायें।
9. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की निष्पादक मण्डल की 12वीं बैठक दिनांक 25.07.2016 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा हेतु सत्रांक के प्रावधान का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय की अनुपालना में सत्र 2016–17 से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सत्रांक का प्रावधान निम्नानुसार है:–

(क) माध्यमिक परीक्षा

ग्रुप 'अ' भाषाएँ पृष्ठ सं. 20

कोड नं.	विषय	अधिकतम अंक	सत्रांक	सैद्धान्तिक	अवधि (घंटे : मिनट)	प्रायोगिक	अवधि (घंटे : मिनट)
201	हिन्दी	100	10	90	03:00	—	—
202	अंग्रेजी	100	10	90	03:00	—	—
206	उर्दू	100	10	90	03:00	—	—
207	सिंधी	100	10	90	03:00	—	—
208	राजस्थानी	100	10	90	03:00	—	—
209	संस्कृत	100	10	90	03:00	—	—
210	पंजाबी	100	10	90	03:00	—	—

प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए उपरोक्त ग्रुप में से कम से कम एक तथा अधिक से अधिक दो भाषाएँ ली जा सकती है।
अतिरिक्त विषय के रूप में तीसरी भाषा ली जा सकती है।

ग्रुप 'ब' पृष्ठ सं. 21

कोड नं.	विषय	अधिकतम अंक	सत्रांक	सैद्धान्तिक	अवधि (घंटे : मिनट)	प्रायोगिक	अवधि (घंटे : मिनट)
211	गणित*	100	9	76	02:30	15	02:30
212	विज्ञान*	100	9	76	02:30	15	02:30
213	सामाजिक विज्ञान	100	10	90	03:00	—	—
214	अर्थशास्त्र	100	10	90	03:00	—	—
215	व्यवसाय अध्ययन	100	10	90	03:00	—	—
216	गृह विज्ञान*	100	9	76	02:30	15	02:30
222	मनोविज्ञान	100	10	90	03:00	—	—
223	भारतीय संस्कृति तथा विरासत	100	10	90	03:00	—	—
225	चित्रकला*	100	3	27	01:30	70	03:00
229	डेटा एंट्री कार्य*	100	4	36	02:00	60	02:00

117

(ख) उच्च माध्यमिक परीक्षा

ग्रुप 'अ' भाषाएँ पृष्ठ सं. 21

कोड नं.	विषय	अधिकतम अंक	सत्रांक	सैद्धान्तिक	अवधि (घंटे : मिनट)	प्रायोगिक	अवधि (घंटे : मिनट)
301	हिन्दी	100	10	90	03:00	—	—
302	अंग्रेजी	100	10	90	03:00	—	—
306	उर्दू	100	10	90	03:00	—	—
309	संस्कृत	100	10	90	03:00	—	—

प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए उपरोक्त ग्रुप में से कम से कम एक तथा अधिक से अधिक दो भाषाएँ ली जा सकती है।

अतिरिक्त विषय के रूप में तीसरी भाषा ली जा सकती है।

ग्रुप 'ब' पृष्ठ सं. 21–22

कोड नं.	विषय	अधिकतम अंक	सत्रांक	सैद्धान्तिक	अवधि (घंटे : मिनट)	प्रायोगिक	अवधि (घंटे : मिनट)
311	गणित	100	10	90	03:00	—	03:00
312	भौतिकी*	100	8	72	03:00	20	03:00
313	रसायन विज्ञान*	100	8	72	03:00	20	03:00
314	जीव विज्ञान*	100	8	72	03:00	20	03:00
315	इतिहास	100	10	90	03:00	—	—
316	भूगोल*	100	8	72	03:00	20	03:00
317	राजनीति विज्ञान	100	10	90	03:00	—	—
318	अर्थशास्त्र	100	10	90	03:00	—	—
319	व्यवसाय अध्ययन	100	10	90	03:00	—	—
320	लेखाशास्त्र	100	10	90	03:00	—	—
321	गृह विज्ञान*	100	8	72	03:00	20	03:00
328	मनोविज्ञान	100	10	90	03:00	—	—
330	कम्प्यूटर विज्ञान*	100	6	54	03:00	40	02:00
331	समाजशास्त्र	100	10	90	03:00	—	—
332	चित्रकला*	100	3	27	01:30	70	03:00
333	पर्यावरण विज्ञान*	100	8	72	03:00	20	03:00
336	डेटा एंट्री कार्य*	100	4	36	02:00	60	02:00

1. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में सत्र 2018–19 से नव पंजीकृत अभ्यर्थियों हेतु कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में सत्रांक व्यवस्था लागू की गई थी, जो इस सत्र भी यथावत रहेगी। कक्षा 10वीं एवं 12वीं (स्ट्रीम 1) के अभ्यर्थियों के लिए सत्रांक सैद्धान्तिक के पूर्णांक का 10 प्रतिशत है। कक्षा 12 में सैद्धान्तिक परीक्षा मय सत्रांक एवं प्रायोगिक परीक्षा में पृथक–पृथक 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। कक्षा 10 में सैद्धान्तिक मय सत्रांक एवं प्रायोगिक के योग का 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है।
2. पी.सी.पी. शिविर में उपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को कुल सत्रांक का 50 प्रतिशत अंक उपस्थिति के अनुसार एवं शेष 50 प्रतिशत अंक अभ्यर्थियों के अनुशासन एवं व्यवहार व लिखित परख के आधार पर सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी द्वारा सत्रांक दिये जायेंगे। पी.सी.पी. शिविर समाप्ति के 5 दिवस के अन्तराल में सत्रांक, ओ.एम.आर. पत्रक में भरकर सहायक निदेशक, गोपनीय अनुभाग, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर कार्यालय को भेजने होंगे।
3. R.S.O.S. के सत्र 2021–22 के P.C.P. शिविरों हेतु केन्द्रों पर कोविड–19 के चलते सोशियल डिस्टेंसिंग के कारण सेनेटाइजर, हैण्डवॉश, साबुन, बाल्टी जग आदि की सुविधाओं के लिए 250 शिक्षार्थियों पर 1000/– तथा 250 से अधिक शिक्षार्थियों पर 2000/– प्रति केन्द्र दिया जाना प्रस्तावित है।

117

4. R.S.O.S. के 14.02.2022 से 28.02.2022 तक चलने वाले P.C.P. शिविरों से पूर्व की बैठक व्यवस्था के 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को सोशियल डिस्टेंसिंग के चलते कक्षा–कक्षों में बैठया जायेगा
5. अधिक जानकारी के लिए R.S.O.S. की website:www.education.rajasthan.gov.in/rsos पर देखें।

निदेशक
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव शिक्षा एवं अध्यक्ष, निष्पादक मण्डल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .... को भेजकर लेख है कि सन्दर्भ केन्द्र R.S.O.S. के द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2022 से 28 फरवरी, 2022 तक जिले में संदर्भ केन्द्रों पर लगने वाले P.C.P. शिविरों का कम से कम एक बार निरीक्षण कर रिपोर्ट R.S.O.S. कार्यालय में भिजवावें। P.C.P. शिविरों के मानदेय एवं पत्रक आदि की सूचना कार्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
4. लेखाधिकारी, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
5. सहायक निदेशक..
6. रक्षित पत्रावली।

सचिव
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
जयपुर